

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर-492 002

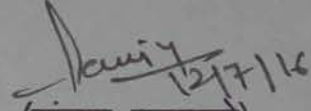
12 JUL 2016

आदेश

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 7-19/2015/12 :: छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 22 के उपनियम (2) की कंडिका (ज) के प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा निर्देशित करता है कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से संबंधित गतिविधियों के लिये भी न्यास निधि उपयोजित की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(संजय कनकने)
अवर सचिव

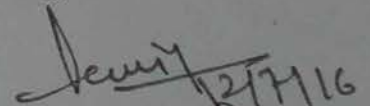
पृ0क्रमांक एफ 7-19/2015/12

नया रायपुर, दिनांक 2 JUL 2016

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, "छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- ✓ 3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी, द्वितीय तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. कलेक्टर/ पदेन अध्यक्ष, समस्त जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला
.....छत्तीसगढ़,
5. उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय (खनि शाखा), जिला छत्तीसगढ़,

की ओर उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांक एफ 7-19/2015/12(पार्ट)/1
प्रति,

रायपुर, दिनांक

समस्त कलेक्टर पदेन अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास,
छत्तीसगढ़।

विषय:-छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति।

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के माध्यम से खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्तियों के हितों एवं लाभ के लिए राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास (District Mineral Foundation Trust) का गठन किया गया है।

2/ जिला खनिज संस्थान न्यास में जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव हैं। नियमों में किये गये प्रावधानों के अनुरूप ही न्यास निधि से व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये जाते हैं कि:-

- 2.1 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों का गंभीरता से अध्ययन किया जाए।
- 2.2 नियम 6(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की पहचान की जाए और खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की सूची तैयार की जाए और सूची को अद्यतन संधारित की जाए।
- 2.3 नियम 6(2) के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की पहचान की जा कर उनकी सूची तैयार की जाए और सूची को अद्यतन संधारित की जाए।
- 2.4 नियम 15 के उप नियम (13) के प्रावधानों के अनुसार वेबसाइट तैयार की जाए। उप नियम (13) की कंडिका (क) से (ज) में उल्लेखित विवरण की अद्यतन जानकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 2.5 खनन अथवा खनन से संबंधित संकियाओं से प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए न्यास निधि के समुचित उपयोग के लिए नियम 22 में उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। नियम 22 के प्रावधानों को अच्छी तरह से पढ़ने पर यह स्पष्ट होगा कि नियम 22 के उप नियम (2) और उप नियम (3) की कंडिकाओं में उल्लेखित क्षेत्रों के संबंध में न्यास निधि का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए ही किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतएव नियमों में प्रावधानित क्षेत्रों में ही न्यास निधि का उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 2.6 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के संबंध में व्यवस्थापक/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन/निर्देशों को भी ध्यान में रखते हुए जिला खनिज संस्थान न्यास के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन किया जाए।
- 2.7 न्यास निधि के उपयोग के लिए निर्धारित किये गये क्षेत्रों/कार्यों के संबंध में कोई संशय होने पर उक्त संशय के संबंध में व्यवस्थापक (सचिव, खनिज साधन विभाग) से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- 2.8 जिला खनिज संस्थान न्यास से संबंधित अनुमतियां एवं स्वीकृतियां आदि न्यास के अध्यक्ष के रूप में जारी की जाए।
- 3/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(सुबोध कुमार सिंह)

सचिव

खनिज साधन विभाग/

व्यवस्थापक

जिला खनिज संस्थान न्यास

रायपुर, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 7-19/2015/12(पार्ट)/1

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव _____ खनिज संस्थान न्यास, जिला पंचायत _____ छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

खनिज साधन विभाग/

व्यवस्थापक

जिला खनिज संस्थान न्यास

112 JUL 2016